संख्या-397/2025/आई/1097644/23-1-25/004-23-1002(002)/30/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 23 सितम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 26 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 26 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 37,64,84,000/- (रूपये सैंतीस करोड़ चौंसठ लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	16267/CE-HQ1/RSN5054/BAR/2025-26	10-09-2025
2	16329/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	16-09-2025
3	16330/CE-HQ1/RSN5054/MBD/2025-26	16-09-2025
4	16333/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2025-26	16-09-2025
5	16334/CE-HQ1/RSN5054/GKP/2025-26	16-09-2025
6	16348/CE-HQ1/RSN5054/LKO/2025-26	16-09-2025
7	16362/CE-HQ1/RSN5054/ALI/2025-26	16-09-2025
8	16366/CE-HQ1/RSN5054/BAS/2025-26	16-09-2025
9	16370/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2025-26	16-09-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
10	16375/CE-HQ1/RSN5054/BAR/2025-26	16-09-2025
11	16377/CE-HQ1/RSN5054/MIR/2025-26	16-09-2025

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा.ख. शाहजहांपुर	पी0एस0एच0एल0 से रोसरकोठीषुगर मिल सम्पर्क मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	945 /2023/आई/ 400730/23-1-23/001-23-1002/5/2023 दिनांक-05-10-2023	836.59 836.59 425.11 161.38 675.21	641.45	33.76	33.76
2	प्रा.ख. शाहजहांपुर	बलसण्डी खुर्द जेवा जसवन्तपुर महमूदपुर सहजनिया रघुनाथपुर मार्ग (लखीमपुर सीमा तक) के चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	953 /2023/आई/ 401601/23-1-23/001-23-1002/16/2023 दिनांक-06-10-2023	3981.17 3981.17 2146.10 888.81 3092.36	2524.62	567.74	227.10
3	प्रा.ख. शाहजहांपुर	ग्राम खिरिया रसूलपुर से पंचदेवरा सम्पर्क मार्ग।	74 /2024/आई/ 508602/23-1-24/001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 - दिनांक-29-02-2024	350.97 350.97 225.66 56.03 294.94	245.67	49.27	49.27
4	नि.ख.-3 गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में प्रस्तावित 2 वीं वाहिनी विशेष सुरक्षा बल भवन तक पहुंच मार्ग के नवनिर्माण कार्य।	11 /2024/आई/ 847733/23-1-25/001-23-1002(002)/269/2024-दिनांक-10-01-2025	2373.19 2373.19 956.27 50.00 2323.19	882.31	1440.88	300.00
5	प्रा.ख. कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में पडरौना कुबेरस्थान तुर्कपट्टी समऊर मार्ग (प्र0जि0मा0-161 ई) के चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	226 /2023/107 रासनि /23-1-23/002-67 आरएसएन/2022 दिनांक-23-02-2023	2388.23 2388.23 1177.44 389.17 1999.06	1053.36	945.70	195.00
6	प्रा.ख. कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में पिपरा बलकुडिया मार्ग से नोनिया पट्टी होते हुए गोईती बुजुर्ग	235 /2023/723 रासनि /23-1-23/001-07 आरएसएन/2022	380.14 380.14 227.67 32.82 347.32	272.30	75.02	75.02

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		बाजार तक नवनिर्माण का कार्य।	टीसी-2 दिनांक-03-03-2023				
7	नि.ख.-1 अलीगढ़	गोपी भिलावली मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	121/2025/आई/894682/23-1-25/002-23-1002(002)/28/2025-दिनांक-28-02-2025	2825.31 2810.57 1368.50 800.00 2010.57	20.50	1990.07	180.00
8	प्रा.ख. शाहजहांपुर	ब्लाक ददरौल के ग्राम टिकरी में शिव मन्दिर से शमशान घाट तक भार्ग के नवनिर्माण कार्य।	19 /2025/आई/851891/23-1-25/001-23-1002(002)/6/2025-दिनांक-16-01-2025	25.62 25.62 17.52 3.12 22.50	17.93	4.57	4.57
9	प्रा.ख. मिर्जापुर	रमईपट्टी कनौराघाट मार्ग से अधौली पण्डितपुर बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	345 /2024/152-आरएसएन/23-1-2024/002-05(बी)/आरएसएन - सीएमओ/2024-दिनांक-23-08-2024	71.85 71.85 37.03 23.25 48.60	34.02	14.58	14.58
10	प्रा.ख. मिर्जापुर	बेलवन सिन्धौरा मार्ग (सरैया कमरघटा) से नेवढ़िया तक सम्पर्क मार्ग।	499 /2024/205-आरएसएन /23-1-2024/001/05(बी) /आरएसएन-मझवां /2024-दिनांक-01-10-2024	57.43 57.43 28.91 17.88 39.55	24.91	14.64	14.64
11	प्रा.ख. मिर्जापुर	कुरकुटिया पाण्डेय से सण्डवा शंकर जी के मंदिर तक के छूटे भाग का नवनिर्माण कार्य।	499 /2024/205-आरएसएन /23-1-2024/001/05(बी) /आरएसएन-मझवां /2024-दिनांक-01-10-2024	35.05 35.05 18.22 10.95 24.10	16.87	7.23	6.03
12	प्रा.ख. मिर्जापुर	जिगनौड़ी से कोल्हड सम्पर्क मार्ग।	499 /2024/205-आरएसएन /23-1-2024/001/05(बी) /आरएसएन-मझवां /2024-दिनांक-01-10-2024	49.65 49.65 26.96 13.12 36.53	33.17	3.36	3.36

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
13	नि.ख.-1 बाराबंकी	दरियाबाद (नगर पंचायत) बाईपास के निर्माण	1035 /2023/आई/ 431218/23-1-23/001-23-1002(002)/211/2023 -दिनांक-21-11-2023	1348.21 1348.21 390.16 181.00 1167.21	711.43	455.78	123.06
14	नि.ख.-1 बाराबंकी	गाजीपुर दरियाबाद नवाबगंज (अजिमा) लम्बाई 8.560 के चैनेज 11.890 से 20.450 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/ 876756/23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक-10-02-2025	1469.06 1458.00 823.60 376.63 1081.37	715.07	366.30	101.89
15	प्रा.ख. बाराबंकी	मोहम्मदपुर सिद्धौर कैसरगंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	736 /2024/आई/ 836005/23-1-24 /001-23-1002(002)/204/2024 -दिनांक-28-12-2024	1669.13 1641.41 835.00 368.90 1272.51	326.24	946.27	363.59
16	प्रा.ख. बाराबंकी	छतौरा कोठी धौरहरा मंगलपुर गुरूदत्तखेड़ा मार्ग(अजिमा) के कि0मी0 11, 12, 13 एवं 14 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/ 876756/23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक-10-02-2025	792.39 770.21 392.20 150.00 620.21	154.76	465.45	273.31
17	नि.ख.-4 अयोध्या	चिरंगीवीर बाबा से डेहरयावां सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 01 से ग्राम ककरहवा, कृष्णानगर होते हुए वृन्दावन सम्पर्क मार्ग तक निर्माण कार्य।	500 /2024/198-आरएसएन/001/05(बी)/आरएसएन-सीओएम-मिल्कीपुर/2024 -दिनांक-01-10-2024	266.29 266.29 83.37 40.16 226.13	186.40	39.73	21.53
18	नि.ख.-4 अयोध्या	जनपद अयोध्या में खजुरहट मिल्कीपुर अमानीगंज रूदौली रौजागांव मार्ग (प्र0जि0मा0 सं0-184ई) के चौनेज 14.000 से 23.200 तक चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	736 /2024/आई/ 836005/23-1-24 /001-23-1002(002)/204/2024 -दिनांक-28-12-2024	1867.62 1867.62 989.14 261.82 1605.80	1419.67	186.13	85.96
19	प्रा.ख. अमेठी	अमेठी किठावर अन्य जिला मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2024/आई/ 516897/23-1-24/001-23-1002(002)/52/2024 -दिनांक-12-03-2024	3619.55 3619.55 1887.54 694.66 2924.89	1643.99	1280.90	180.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
20	प्रा.ख. जौनपुर	डोभी पोरईखुर्द जमदहा अब्बो जैंगहा लखमापुर मानीकलॉ मेहरावां मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	131 /2024/आई/ 521930/23-1-24/002-23-1002(002)/55/2024-दिनांक-15-03-2024	3176.36 3176.36 1764.93 300.00 2876.36	1567.37	1308.99	301.80
21	प्रा.ख. जौनपुर	शाहगंज लखनऊ बलिया मार्ग (राज्य मार्ग) के बड़ौना पाली की टंकी से वाया चिलबिला गगौली सवायन रूदौली (सरपतहा मोड़) एवं जमोली होते हुए समोधरपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	104 /2025/आई/ 889233/23-1-25/001-23-1002(002)/22/2025 दि 24.02.2025-दिनांक-24-02-2025	1141.48 1141.48 886.82 12.02 1129.46	506.75	622.71	189.74
22	नि.ख. सीतापुर	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से सदर बाजार होते हुए पुलिस टेनिंग सेन्टर तक मार्ग के चैनेज 0.000 से चैनेज 2.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	171 /2025/आई/ 920410/23-1-25/004-23-1002(002)/212/2025 -दिनांक-27-03-2025	420.46 420.46 204.27 97.00 323.46	75.52	247.94	90.00
23	प्रा.ख. सीतापुर	लहरपुर तम्बौर मार्ग (प्र0जि0मा0-83 सी) के किमी 26 से तम्बौर गांजर स्कूल से चटेला होते हुए रमुवापुर मार्ग(अजिमा) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/ 876756/23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक-10-02-2025	1457.43 1457.43 716.81 443.41 1014.02	405.74	608.28	120.00
24	नि.ख.-1 मुरादाबाद	जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद मछरिया लालाटीकर रौण्डा झौण्डा चैराहे से मनकरा मूढापाण्डे सम्पर्क मार्ग (अन्य जिला मार्ग सं0-32) का चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य।	350/2024/154-आरएसएन/23-1-2024/001-05(एस)/आरएसएन-सीओएम/2024-दिनांक-24-08-2024	7724.17 7625.29 3694.15 2317.79 5307.50	2524.29	2783.21	567.67
25	नि.ख.-1 बस्ती	जिला अस्पताल चैराहे से कैली हास्पिटल होते हुए सोनूपार रामपुर देवरिया मार्ग के शेष भाग का	1047 /2023 /आई /438506/23-1-23/002-23-1002 (002)/217 /2023 पार्ट-1 -दिनांक-01-12-2023	2455.75 2455.75 1298.08 600.00 1855.75	1587.89	267.86	160.72

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।					
26	प्रा.ख. बागपत	जनपद बागपत में दिल्ली-यमुनौत्री मार्ग से खेकडा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	751 /2024/आई/ 836025/23-1-24/ 001-23-1002(002)/224/2024 -दिनांक-28-12-2024	302.10 302.10 2339.27 0.99 301.11	148.98	152.13	82.24
						कुल योग-	**3764.84**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 37,64,84,000/- (रूपये सैंतीस करोड़ चौंसठ लाख चौरासी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-397/2025/आई/1097644(1)/23-1-25/004-23-1002(002)/30/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।